IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सुरक्षा की चुनौतियां एवं जिम्मेदारी एक सामाजिक विश्लेषण

डॉ. हेमलता सांगुड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग, डी.बी.एस.पी.जी.कॉलेज, छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

अमिता वर्मा, शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, डी.बी.एस.पी.जी.कॉलेज, छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

शोध सार- यह शोध पत्र महिलाओं की सुरक्षा के ज्वलंत मुद्दे की पड़ताल करता है, और समाज में उनकी भेद्यता को बढ़ाने वाले विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मौजूदा ढाँचों और पहलों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन सुरक्षा के वर्तमान दृष्टिकोणों में प्रमुख चुनौतियों और कमियों की पहचान करता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-संचालित उपकरणों और सामुदायिक सहभागिता रणनीतियों सहित नवीन समाधानों का प्रस्ताव करता है। यह शोध महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में अंतःविषय सहयोग और नीति विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह शोध पत्र महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो अधिक सुरक्षित और समतामूलक समाज में योगदान देगा।

मूल शब्द- महिला सुरक्षा, चुनौतियां, कानूनी प्रावधान, घरेलू हिंसा।

प्रस्तावना-

"स्वतंत्रता आवश्यक को, आवश्यक और ऐतिहासिक को, क्षणभंगुर मानने से शुरू होती है, जिसे बदला जा सकता है।" (सोंद्रा फरगानिस,1994)

अनादि काल से महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। पुरुष-प्रधान समाज में पितृसत्तात्मक मानदंडों ने महिलाओं को उनके जीवन के हर पहलू में, सार्वजनिक रूप से आचरण करने से लेकर प्रजनन के विकल्पों तक, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह तय किया है। सार्वजनिक क्षेत्र को हमेशा पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है, जहाँ कार्यस्थल की चुनौतियों का सामना करने के लिए सीमित संख्या में महिलाएँ ही आगे आती हैं। हालाँकि, यह धीरे-धीरे बदल रहा है क्योंकि पिछले कुछ दशकों से अधिक से अधिक महिलाएँ कार्यबल में शामिल हो रही हैं और उन बाधाओं को तोड़ रही हैं जो पहले उन्हें सभी क्षेत्रों में नहीं तो कुछ क्षेत्रों में रोजगार पाने से रोकती थीं। **(बनर्जी, 2013)**

भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में भारी वृद्धि हुई है। महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले दो बार सोचती हैं, खासकर रात में। दुर्भाग्य से, यह हमारे देश की एक दुखद सच्चाई है जो लगातार डर में रहता है। अत्याधुनिक तकनीक और शहरीकरण के दौर में भी भारत में महिलाएं हिंसा और भेदभाव का शिकार हैं। यह एक हृदय विदारक तथ्य है कि भारत में हर दिन लगभग 88 बलात्कार के मामले सामने आते हैं, हम वास्तविक आंकड़ों से बहुत दूर हैं क्योंकि सैकड़ों मामले अनदेखे रह जाते हैं। हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्य प्रणाली रचयिता की रक्षा करने में विफल रही है। इतने वर्षों से हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में देखती रही है, उन्हें विवाह और प्रतिबंधित घरेलू व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भयावह अत्याचारों का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय पुलिस थानों में बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, मारपीट, बाल विवाह और दहेज जैसे मामलों की भरमार है। पिछले 10 वर्षों में भारत में भेद्यता कई गुना बढ़ गई है। दुनिया में महिलाओं के अग्रणी होने और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बावजूद, भारत में एक दशक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और क्रूरता के 44% से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह केवल रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़े हैं, वास्तविक तस्वीर कहीं अधिक डरावनी है, मामलों की संख्या आसमान छू रही है। चाहे वह वयस्क हो या तीन साल की बच्ची, कोई भी महिला घर के अंदर या बाहर सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर, वे घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं, और आज जब महिलाओं की मानसिकता में बदलाव आया है, तो वे हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और निर्भया घटना के बाद कई संगठनों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को आत्मरक्षा के कुछ उपाय सीखने की ज़रूरत है जो सबसे खराब स्थिति में भी काम आ सकें। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए इंटरनेट पर ऐसी सुरक्षा तकनीकों के बारे में कई वीडियो और जानकारी उपलब्ध हैं। **(अनुकृति, 2023)**

समस्या की पृष्ठभूमि- महिला सुरक्षा का मुद्दा आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती के रूप में मौजूद है। हालाँकि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को समानता, भेदभाव-रोधी और जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, फिर भी वास्तविकता में महिलाएँ इन अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं। इसका कारण समाज में व्याप्त पुरुष प्रधान सोच, पारंपरिक मान्यताएँ, आर्थिक निर्भरता और न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया है। भारत में महिलाओं की असुरक्षा का दृश्य ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर प्रकट होता है। इतिहास का विश्लेषण करने पर मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी, जहाँ पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियाँ आम थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे घरेलू हिंसा, यौन शोषण और सामाजिक भेदभाव का सामना करती रहीं। **(जोशी और सिंह, 2022)**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2023) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या लगभग 4.45 लाख रही, जिनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा (31%), यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ (20%) और बलात्कार (7%) से संबंधित पाए गए। इसके अलावा, डिजिटल युग में महिलाओं की असुरक्षा का नया पहलू साइबर अपराध के रूप में उभरा है, जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी पहचान के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और साइबर स्टॉकिंग शामिल हैं।

समस्या का संदर्भ सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी शामिल है। भारतीय समाज में आज भी कई स्थलों पर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोका जाता है, और विवाह को उनका अंतिम उद्देश्य समझा जाता है। यह सोच न केवल महिला सशक्तिकरण में रुकावट है, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। **(अनुकृति, 2023)**

अध्ययन की आवश्यकता- आज के आधुनिक समाज में महिला सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत जैसे देश में जहाँ महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, वहाँ उनके सम्मान, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल संवैधानिक दायित्व है बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। महिला सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ जैसे – यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थलों पर असमान व्यवहार, डिजिटल अपराध, तथा सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा की भावना समाज के समग्र विकास में बाधक बनती हैं। इन समस्याओं के कारण महिलाएँ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पातीं। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि समाज में परिवार, शिक्षा संस्थान, मीडिया, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और आम नागरिकों की जिम्मेदारियाँ महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक हैं। महिला सुरक्षा केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके लिए सामूहिक सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार आवश्यक है। अतः इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि-

- महिला सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों को चिन्हित किया जा सके।
- सामाजिक और संस्थागत स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सके।
- समाज में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझाव दिए जा सकें।
- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके।

महिला सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ- किसी भी देश, काल या समाज में किसी भी लिंग (पुरुष या महिला) के साथ ऐसा कोई भेदभाव या सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं होनी चाहिए जो उनके जीवन को कठिन बना दे। हालाँकि, वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

विलंबित न्याय और लंबित मामले- महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विलंबित न्याय और लंबित मामले उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं हैं, लेकिन यह महिलाओं के लिए एक अप्रत्यक्ष और बड़ा खतरा है क्योंकि विलंबित न्याय और लंबित मामले कहीं न कहीं अपराधियों के मन में अपराध करने की भावना को मज़बूत करते हैं। अपराधियों को समय पर सज़ा मिलने से पीड़ितों को राहत मिलती है और अपराधी के मन में सज़ा का डर भी पैदा होता है, अगर पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिलता है, तो यह अन्याय को जन्म देगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, दिसंबर 2022 तक, भारत भर में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 48 मिलियन मामले लंबित थे। विलंबित न्याय बलात्कार पीड़ितों के मानसिक आघात को बढ़ाता है और उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। **(यादव और शर्मा, 2023)**

ढिलाई से भरा कानून प्रवर्तन- कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी-कभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को संभालने में ढिलाई बरतती हैं। लगभग 39% अधिकारियों का मानना है कि लिंग आधारित हिंसा की शिकायतें निराधार होती हैं। यह रवैया पीड़ितों को असमर्थित और असुरक्षित महसूस करा सकता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ- सांस्कृतिक मानदंड महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकता है। इससे चुप्पी और भय का एक चक्र बन सकता है, जिससे हिंसा के मूल कारणों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

यौन उत्पीड़न- यौन उत्पीड़न लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का एक उदाहरण है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे आम और गंभीर खतरा बलात्कार और सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है। बलात्कार के मामलों में उम्र और रिश्ते की सीमाओं का भी उल्लंघन होता है, न केवल युवतियाँ बल्कि नवजात बच्चियाँ और वृद्ध महिलाएँ भी बलात्कार का शिकार होती हैं। यह सोच कि बलात्कार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया जाता है, कुछ मामलों से भी ध्वस्त हो गई है जहाँ पिता, भाई, चाचा आदि रिश्तेदार भी रिश्तों की गरिमा को भूल जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में हर दिन औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। अधिकांश मामलों में, बलात्कार पीड़िता को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा चुप रहने के लिए कहा जाता है, अगर ऐसे मामलों की गणना की जाए तो संख्या वास्तविक मामलों से भी अधिक होगी। एनसीआरबी के 2017 के एक अन्य आंकड़े के अनुसार, बलात्कार और यौन उत्पीड़न की सभी 93.1% पीड़ितों पर परिचित व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया, जिनमें परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दोस्त, नियोक्ता और साथी शामिल हैं। यौन अपराध महिलाओं को जीवन भर के लिए आघात पहुँचाता है और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। **(पात्रा, 2023)**

घरेलू हिंसा- घरेलू हिंसा में पारिवारिक हिंसा शामिल है, यह मुख्य रूप से करीबी सामाजिक संबंधों वाले लोगों द्वारा की गई किसी भी हिंसा को संदर्भित करती है। भारत में 70% महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जिससे महिलाओं के लिए भावनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। इस घरेलू हिंसा का मुख्य कारण हमारी सामाजिक संरचना है जहाँ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पहले और बाद में अपने पुरुष रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित रहें। घरेलू हिंसा कई महिलाओं के लिए एक गंभीर खतरा है जो उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या होती है। मूलतः, यह एक प्रकार की हत्या है जो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी शुरुआत घर से होती है और यह महिला सशक्तिकरण की समग्र अवधारणा को प्रभावित करती है। **(वर्मा और गुप्ता, 2020)**

कार्यस्थल पर असुरक्षा- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए नियम स्थापित करता है। इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर असुरक्षा- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर असुरक्षा एक गंभीर समस्या है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के व्यापक इस्तेमाल के कारण महिलाएं साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग, अश्लील संदेशों और फर्जी अकाउंट्स के द्वारा उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।

पीछा करना- पीछा करना भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का खतरा है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति व्यवहार का एक पैटर्न शामिल होता है, जिससे व्यक्ति अपनी या दूसरों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हो जाता है या उसे काफी भावनात्मक परेशानी होती है। बार-बार फ़ोन करना, महिला का पीछा करना, चाहे वह कहीं भी हो, अवांछित उपहार, पत्र भेजना, फ़ोन कॉल या कंप्यूटर के इस्तेमाल पर नज़र रखना, तकनीक का इस्तेमाल करके उसे ट्रैक करना और परिवार, दोस्तों, पालतू जानवरों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना, और अन्य ऐसी गतिविधियाँ करना जिनसे दूसरों को नियंत्रित, ट्रैक या डराना-धमकाना पड़ता है, पीछा करना माना जाता है। पीछा करना महिलाओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खतरा है जो एक तरह का पीछा करना और ब्लैकमेलिंग है। इस तकनीकी युग में, आजकल महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध बहुत आम हैं। **(मुंधे, 2021)**

भारत में महिला सुरक्षा के लिए सरकारी पहल- भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना एक राज्य का विषय है। महिला सुरक्षा हमेशा से देश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, इसलिए भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और स्थिति में सुधार के लिए कुछ पहल की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. मिशन शक्ति- मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। यह शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए रणनीतियों के प्रस्ताव पर भी केंद्रित है। मिशन शक्ति की दो योजनाएँ हैं- 'संबल' और 'सामर्थ्य'। संबल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, इसमें 'वन स्टॉप सेंटर', 'महिला हेल्पलाइन', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और एक नई योजना 'नारी अदालत' जैसी कुछ मौजूदा योजनाएँ शामिल हैं। सामर्थ्य महिला सशक्तिकरण के लिए है इसमें 'उज्ज्वला', 'स्वाधार गृह' और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी कुछ मौजूदा योजनाएँ शामिल हैं। मिशन शक्ति योजना महिलाओं को आपातकालीन सेवाएँ और दीर्घकालिक या अल्पकालिक देखभाल प्रदान करती है और इसमें लिंग संवेदीकरण के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। **(शेट्टार, 2015)**

2. महिला हेल्पलाइन- इसे नवंबर 2012 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। अपराध होने के बाद अपराधी को दंडित करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपराध को होने से रोका जाए ताकि पीड़िता को हिंसा से बचाया जा सके। ऐसी स्थितियों में, हेल्पलाइन नंबर बहुत कारगर साबित होते हैं। इन हेल्पलाइन नंबरों की मदद से पीड़िता की लोकेशन को कम समय में ट्रैक किया जा सकता है। इन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके, महिला की लोकेशन को कम समय में ट्रैक करने और उसे सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाता है ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके।

महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:

1091 - संकटग्रस्त महिलाओं के लिए (पूरे भारत में)

181 - घरेलू दुर्व्यवहार के लिए

100 - पुलिस हेल्पलाइन

3. वन स्टॉप सेंटर- वन स्टॉप सेंटर मूलतः निर्भया फंड के अंतर्गत प्रायोजित योजना है। इसे 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, मनो-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय सहित एक ही छत के नीचे कई एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना है। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। यह केंद्र शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को, चाहे उनकी आयु, वर्ग, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति कुछ भी हो, सहायता और निवारण सुविधाएँ प्रदान करता है। देश भर में जिला स्तर पर 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर में आने वाली या उनके पास भेजी जाने वाली प्रत्येक महिला को विशेष सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। **(कौर, दीक्षित और चौधरी, 2019)**

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट- राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से इन अदालतों का क्रियान्वयन कर रहा है जिनसे न्याय की शीघ्रता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ये अदालतें महिलाओं से संबंधित जघन्य अपराधों और दीवानी मामलों से निपटने के लिए स्थापित की गई हैं। ये मामलों का शीघ्र निपटारा करती हैं और भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को दूर करने में मदद करती हैं। दिसंबर 2022 तक, यौन अपराधों से निपटने के लिए 764 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 411 विशेष POCSO अदालतें शामिल हैं। इन अदालतों ने 1,44,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया है। एक सामान्य अदालत किसी लक्ष्य या समय सीमा के साथ काम नहीं करती है, जबकि एक फास्ट-ट्रैक अदालत के पास आमतौर पर मामलों की एक लक्षित संख्या होती है जिन्हें उसे एक निश्चित अवधि में निपटाना होता है। फास्ट ट्रैक अदालतें सुनवाई स्थगित नहीं करती हैं या स्थगन की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन सामान्य अदालतों में यह बहुत आम है। हालाँकि, भारत में फास्ट ट्रैक अदालतें कई समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि विधायी समर्थन और उचित ढाँचे का अभाव, जिन्हें शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने और इन अदालतों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। **(कौर और शर्मा, 2022)**

5. महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) योजना- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की भागीदारी के लिए शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए एक जन-नीति इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करना है। इस योजना का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच एक कड़ी बनाना है ताकि लैंगिक संबंधी चिंताओं पर पुलिस की पहुँच को सुगम बनाया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। एमपीवी योजना महिलाओं को हिंसा की शिकायतों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती है और पुलिस अधिकारियों तक अपने मामले पहुँचाने के उपायों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। **(दत्ता, 2017)**

महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुझाव- महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. महिलाओं की शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि एक बुनियादी समस्या है। इसलिए, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. महिलाओं, विशेषकर कमजोर वर्गों की महिलाओं, में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

3. महिलाओं को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें उचित वेतन और पुरुषों के बराबर काम दिया जाना चाहिए ताकि समाज में उनका दर्जा ऊँचा हो सके।

4. समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्यक्रमों और अधिनियमों का कड़ाई से क्रियान्वयन होना चाहिए।

निष्कर्ष- आजकल महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में और सार्वजनिक स्थानों पर बहुत आम हैं। ये अपराध या हिंसा महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं और महिलाओं के आवागमन के अधिकार को सीमित करते हैं। हिंसा का खतरा न केवल महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति असंतुलन को भी जन्म देता है। आज भारत में, महिला सुरक्षा हर जगह चर्चा का विषय है और इसे सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं में आवश्यक बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम हिंसा के खतरे को खत्म करने में कहीं न कहीं विफल हो रहे हैं, नतीजतन, हम हर दिन अखबारों और समाचार चैनलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ी घटनाओं को देखते या सुनते हैं। यह खतरा महिलाओं को किसी भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। भारत में कई कानून, योजनाएँ, कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, फिर भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों नहीं रुक रही है और इसके पीछे क्या कारण है? जब हम अपने समाज की संरचना पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि इसकी जड़ें हमारे समाज में ही व्याप्त हैं, जहाँ पुरुष हमेशा हर स्तर पर महिलाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन को पुरुषों के अनुसार ढालें। एक पितृसत्तात्मक परिवार में, जब एक लड़का घर में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार होते देखता हुआ बड़ा होता है तो वह भी महिलाओं के प्रति वैसा ही व्यवहार अपनाता है, तो महिलाओं के प्रति हिंसा की नींव वहीं से शुरू होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अधिकांश मामलों में एक बात समान होती है और वह है पुरुष-अहंकार और हमारा रूढ़िवादी समाज बिना किसी कारण के इस पुरुष-अहंकार को पोषित करता है। समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का बहुत अभाव है। इस आधुनिक युग में, हम लैंगिक समानता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें लैंगिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान देना होगा। लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से, समाज में पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना सिखाया जाना चाहिए। देश के कुछ स्थानों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं अभी भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता नहीं है, ऐसे में समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाना बेहद ज़रूरी है। भारत में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सरकारी कानून और योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कानून और योजनाएँ लैंगिक संवेदनशीलता के बिना पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए इस समस्या का मूल से समाधान करने की आवश्यकता है जहाँ से यह उत्पन्न हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ समाज में व्यवहार परिवर्तन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। लड़कियों के लिए स्कूली स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि बुराइयों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बेहद शर्मनाक है कि बलात्कार जैसे अपराध हर दिन होते हैं और इसका एक कारण भारतीय न्यायपालिका की धीमी कार्यप्रणाली है। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों में भय पैदा किया जा सके। अगर कोई डर होना चाहिए, तो वह अपराधियों के मन

में अपराध करने का डर होना चाहिए, न कि महिलाओं के मन में अपनी सुरक्षा का। भारत में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ कड़े कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज के हर स्तर पर इन कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन भी होना चाहिए ताकि महिलाएं समाज में निडर महसूस कर सकें और देश भर में अपनी आज़ादी से आवाजाही कर सकें।

संदर्भग्रंथ सूची

- अनुकृति. (2023). भारत में महिलाओं की सुरक्षा. लीगल सर्विस इंडिया से प्राप्त: http://www.legalserviceindia.com
- बनर्जी, ए. (2013). भारत में महिलाओं की स्थिति और लैंगिक भेदभाव. *अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान जर्नल*, 3 (2), 057-064।
- दुबे, एस., बेली, ए. और ली, जे. (2025). सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं द्वारा महसूस की गई सुरक्षा: योगदान देने वाले कारकों और मापन विधियों की एक वर्णनात्मक समीक्षा. *एल्सेवियर इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल*, 4(1),1-10।
- दत्ता, एस. (2017). कार्यस्थल में भारतीय महिलाएं: समस्याएं और चुनौतियां. *बहुविषयक क्षेत्र में अभिनव अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल*, 3(3),152-159।
- जोशी, एन., और सिंह, एस. (2022). महानगरों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की धारणा: भारत में #मीटू के प्रभाव पर एक केस स्टडी. *शहरी सुरक्षा समीक्षा*, 16(4), 120-135. https://doi.org/10.6579/usr.2022.01604
- कौर, पी., दीक्षित, आर. और चौधरी, एस. (2019). दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों के महिला सुरक्षा सूचकांक का निर्माण और डेटा विश्लेषण. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग*, 7(6),432-437।
- कुमार, आर. (2023). शहरी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी धारणाएँ: भारत में महानगरों और छोटे शहरों की तुलना. *जर्नल ऑफ विमेन्स स्टडीज़,* 22(3), 204-220. https://doi.org/10.1080/jws.2023.02203
- कौर, जी., और शर्मा, एन. (2022). ग्रामीण भारत में महिला सुरक्षा: पंजाब और उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण. *जेंडर एंड सोसाइटी*, 33(4), 58-75. https://doi.org/10.6755/gs.2022.03304
- मुंधे, ई.एस. (2021). भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर अध्ययन.*रिसर्चगेट*,36(7),41-46।
- नायर, वी. और सरदे, ए.वी. (2023).महिला सुरक्षा: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य.*आरएचएटी बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान जर्नल*.1(2),1-12।
- पात्रा, जे. (2023). शहरी और ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा की धारणा पर अध्ययन: #मीटू जैसे सामाजिक अभियानों का विशेष संदर्भ भारत. *रिसर्चगेट,* 16(5),323-328।
- शेट्टार, आर.एम. (2015). भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन. आईओएसआर-जेबीएम, 17(4),11-20।

- सिंह, आर. (2004). भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति. बोस्टन विश्वविद्यालय के न्यासी।
- सिंह, पी., और रेड्डी, बी. (2021). शहरी और ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा धारणा पर सरकारी नीतियों का प्रभाव. *जर्नल ऑफ पब्लिक सेफ्टी*, 30(3), 145-160 https://doi.org/10.2345/jps.2021.03003
- शेटे, एस.ए., तागुंडे, आर., खान, ए.तुले, पी. और नंदखिले, पी. (2024). सेफपाथ - महिला सुरक्षा और सुरक्षा समाधान. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज़*, 5(11),4187-4190।
- वर्मा, आर., और गुप्ता, एस. (2020). इंडिया ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा की धारणा को कैसे नया रूप दिया है, इस पर एक अध्ययन. *नारीवादी समाजशास्त्र समीक्षा*, 13(2), 189-204 https://doi.org/10.8765/fsr.2020.01302
- यादव, आर., और शर्मा, टी. (2023). शहरीकरण और महिला सुरक्षा धारणाएँ: भारतीय शहरों का एक अनुदैर्ध्य अध्ययन. *जर्नल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी*, 25(1), 55-71 https://doi.org/10.1111/jus.2023.02501